आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
15.06.2023	**वाद संख्या–05 / 2023** अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष की ओर से श्री बाबुलाल कुंटिया एवं अन्य, ग्राम–कुपुई, प्रखण्ड–चक्रधरपुर, जिला–पश्चिमी सिंहभूम उपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम उपस्थित। आज की सुनवाई Telephonic conference के माध्यम से की गई। Telephonic conference के माध्यम से हुई सुनवाई में शिकायतकर्ता एवं जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम दोनों उपस्थित रहे। जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम का कहना है कि विभाग द्वारा अनाज उपलब्ध नहीं कराए जाने के कारण शिकायतकर्ता को अनाज उपलब्ध नहीं कराया जा सका। आयोग ने इस संदर्भ में विभागीय सचिव को पत्र लिखा है। शिकायतकर्ता का आग्रह है कि विभागीय सचिव को खाद्य आयोग द्वारा भेजे गये पत्र की प्रति उन्हें उपलब्ध कराया जाय। आयोग शिकायतकर्ता के आग्रह को स्वीकार करते हुए सदस्य सचिव, राज्य खाद्य आयोग को निर्देश देता है कि विभागीय सचिव, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग को भेजे गये पत्र की प्रति शिकायतकर्ता को भेज दिया जाय। गौरतलब है कि शिकायतकर्ता को उन माह का राशन उपलब्ध करा दिया गया है, जिस माह का आवंटन जिले को भेजा गया था। शिकायतकर्ता ने स्वीकार किया कि बकाया राशन उन्हें मुआवजा के साथ उपलब्ध करा दिया गया है। इस निर्देश के साथ आयोग इस वाद को निष्पादित करता है। आदेश की प्रति उभयपक्ष को भेजें। 19.6.23 (शबनम परवीन) सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची। 19/06/2023 (हिमांशु शेखर चौधरी) अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, राँची। E:\Ziyaul\Vinod Sir\Commission order.docx77	